



(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी- दमयंती कंवर आर.ए.एस.

विधाधर पुत्र श्री महादेवाराम जाति जाट निवासी देवगांव गोठडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू आदि	-बनाम-	राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़।
किस्म मुकदमा -दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती।		मु.नं. 70 / 2021
		GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

25.8.2021	आज यह वाद वादी विधाधर पुत्र श्री महादेवाराम जाति जाट निवासी देवगांव गोठडा की ओर से वकील श्री सज्जन चाहर द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 05.10.2021 को पेश हो।	
-----------	--	--


 दमयंती कंवर (R.A.S.)
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़

9/11/21

पत्रावली का प्रशासन आदेश के तहत 2021 के तहत डेप्य देवगांव में पेश हुई पाली स्वयं उपस्थित थे निवेदन किया कि मैं उक्त कास कास नहीं चलाना चाहता हूँ इसलिए प्रकृत डीप का डीप जोड़ा उक्त प्रकृत next step में जारी किया जाता है। पत्रावली को जल शुभगा है मन्त्र से कम है प्रकृत तफरिले जाय राखि रह्य है

उक्त कास मन्त्र प्रकृत के जारी का डीप जोड़ा मैं प्रकृत कास कास नहीं चलाना चाहता हूँ
 विधायक शशिदे

सुमन सोनल RAS
 सिविल प्रभारी


प्रशासन गाँवों को संग अभि. 2021, पंजाब
 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़



पत्रावली पेश हुई। मन्त्र सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा कौनसा नही हमारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांकको पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़



आदेश	कार्यवाही विवरण विधाधर बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 70/2021
31-01-22	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से ध्यान में आया कि प्रकरण दिनांक 09.12.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जा चुका था। प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 09.12.2021 को नियत समस्त पत्रावलियों में एक ही तारीख नियत करने पर हस्तगत पत्रावली भी सहवन से उसी तारिख पेशी में रख दी गई। पत्रावली पूर्व में नोट-प्रेस के आधार पर खारिज होने से अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती। फलस्वरूप प्रकरण में आदेश दिनांक 09.12.2021 के अनुसरण में बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p style="text-align: center;"> ए. सी. ई. एम. (फा. डे.) नवलगढ</p>